

न्यायालय तालुका विधिक सेवा(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या-02)केकड़ी
राष्ट्रीय लोक अदालत-2022 मुकाम भिनाय

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर / 92 / 2022

1. शाहबुद्दीन पुत्र शेख मोहम्मद जाति पिनारा निवासी बडगांव(सुरखण्ड) तहसील भिनाय अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

2. रणजीत पुत्र श्री राधेश्याम जाति ढोली निवासी बडगांव(सुरखण्ड) तहसील भिनाय अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय अजमेर

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

उपस्थित :- 1. वकील प्रार्थी- गजानन्द सिंह रावत


2. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक- 12.11.2022

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा बडगांव पटवार क्षेत्र बडगांव मू0अ0नि0 क्षेत्र कनेईकलां के खाता सं0 835 में दर्ज ख0न. 3224 / 1507 रकबा 0.50 कुल किता 01 कुल रकबा 0.50 हैं0 जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं0 01 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 02 जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 01 को जारी नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुआ। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा पत्रावली में उपस्थित होकर उक्त आराजी की पत्थरगढी की जाने बाबत अपनी अनापत्ति प्रकट की। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र में जवाब प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर-2022 के तहत पेश हुआ। वकील प्रार्थी, अप्रार्थी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली में वर्णित कथनों को दोहराते हुए, प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा कथन किये गये कि, प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 3224 / 1507 रकबा 0.50 कुल किता 01 कुल रकबा 0.50 हैं0 में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में रीट पीटिशन संख्या 9213/2022 उनवानी खलील वगै0 बनाम शहाबुद्दीन वगै0 विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा आगामी आदेश तक स्थगन आदेश पारित किया गया है। पैरोकार सरकार द्वारा आगे कथन किये गये कि प्रश्नगत आराजी में वर्तमान में खलील पुत्र करीब खान तथा जलील पुत्र करीब खान जाति मुस्लमान का कब्जाकाश्त है। वकील प्रार्थी द्वारा लोक अदालत की भावना


उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज

